पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ

कुलसचिव

बिहार-854301 ई.मेल: registrarpurneauni@gmail.com

पत्रांक: PUP – R/22 – 760 दिनांक : 08.09.2022

सूचना

निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक : 15 / एम 1 – 50 / 2018 (अंश) – 2689, दिनांक : 07.09.2022 (संलग्न) के आलोक में सूचित किया जाता है, कि शैक्षणिक सत्र 2023 – 26 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन से संबंधित प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा विकसीत ऑनलाइन पोर्टल www.cabihar.com के माध्यम से संबंधन हेतु आवेदन दिनांक : 15.09.2022 तक अवश्य अपलोड करें तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी दें।

संलग्नक : यथोक्त

मानानीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

GsRoy 08/09/2022

(डॉ. घनश्याम राय)

कुलसचिव

ज्ञापांक : PUP – R/22 – 760 दिनांक : 08.09.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान) / महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य), पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
2. प्रधानाचार्य / सचिव, सभी संबंद्ध महाविद्यालय, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
3. प्रभारी, आई. टी. सेल, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ – को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को विश्वविद्यालय के वेवसाइट पर अपलोड किया जाए।
4. माननीय कुलपति के निजी सहायक, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
5. सूचना पट, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
6. गार्ड फाइल

GsRoy 08/09/2022

(डॉ. घनश्याम राय)
(Dr. Ghanshyam Roy)
Registrar
Purnea University, Purnea

पत्रांक 15/एम 1–50/2018 (अंश) – 2689.

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

डा० (प्रो0) रेखा कुमारी,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।
(पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर)

पटना, दिनांक 07.09.22.

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2023–26 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन से संबंधित प्रस्ताव Online पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत शैक्षणिक सत्र 2022–25 से स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों का संबंधन के संबंध में www.cabihar.com पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध प्रस्ताव के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1962 दिनांक 15.09.2021 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संसुचित किया गया है।

आप अवगत हैं कि महाविद्यालयों का संबंधन के संबंध में राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक–1179 दिनांक 25.04.2018 एवं CWJC NO.-4660/2017 में दिनांक 26.04.2018 को पारित न्यायादेश में निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निदेशानुसार आप सभी को निदेशित किया जाता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा–अद्यतन संशोधित की संगत धारा एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत परिनियम पत्रांक–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक–3196 दिनांक 14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक 25.10.2019 के आलोक में समीक्षोपरान्त अपने–अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत स्नातक महाविद्यालयों के संबंधन संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल सचिवालय/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्धारित संबंधन कार्यक्रम

के अनुरूप Online अभ्यावेदन दिनांक 15.09.2022 तक प्राप्त की जाय तथा प्राप्त अभ्यावेदनों को विश्वविद्यालय के सभी सक्षम प्राधिकारों से अनुमोदनोपरान्त संबंधन संबंधी प्रस्ताव/अनुशंसा दिनांक 15.01.2023 तक विभाग को www.cabihar.com पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जाय। उपर्युक्त सभी प्रक्रिया Online के माध्यम से ही संपादित किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कराये गये कोई अभिलेख/कागजात पर विश्वविद्यालय एवं सरकार के स्तर से विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

07.09.22

(रेखा कुमारी)

निदेशक (उच्च शिक्षा)